



राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत दीवानी न्यायालय की शक्तियों को प्रयोग करने वाला एक संवैधानिक निकाय)
(A Constitutional body exercising powers of a Civil Court under Article 338A of the Constitution of India)

NOTICE

फा. सं.: NCST/ATY-1321/JH/7/2023-APCR

दिनांक: 11/07/2023

श्री राहुल कुमार सिन्हा

उपायुक्त,

जिला - राँची

कलेक्टर कार्यालय,,

ब्लॉक-ए, कचहरी चौक,

राँची, झारखंड 834001

Email Id: dc-ran@nic.in

विषय: आदिवासियों को उच्च जाति के लोगो द्वारा कुए से पानी नहीं भरने देने के सम्बन्ध में श्री जगदीश लोहरा, राँची, झारखण्ड का अभ्यावेदन

चूंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को जगदीश लोहरा से दिनांक 05/06/2023 में एक याचिका/शिकायत/सूचना प्राप्त हुई है (प्रति संलग्न) और आयोग ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत उसे प्रदत्त शक्तियों का अनुसरण करते हुए इस मामले का अन्वेषण/जांच करने का निश्चय किया है, अतः आपसे एतद्वारा अनुरोध किया जाता है कि आप सूचना के प्राप्त होने के 07 दिन के अंदर अधोहस्ताक्षरी को डाक से या वैयक्तिक रूप से उपस्थित होकर या किसी अन्य संचार साधन से संबन्धित आरोपों/मामलों और सूचनाओं पर की गई कार्यवाही से संबन्धित सूचना प्रस्तुत करें।

कृपया ध्यान रखें कि यदि नियत अवधि में आयोग को आपका उत्तर प्राप्त नहीं होता है तो आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत उसे प्रदत्त सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग कर सकता है तथा वैयक्तिक रूप से या प्रतिनिधि के माध्यम से आयोग के समक्ष उपस्थित होने के लिए आपको 'समन' जारी कर सकता है।

(अंकित कुमार सेन)

अनुसंधान अधिकारी

दूरभाष सं: 24645826

ई-मेल- researchofficer-apcr@ncst.nic.in

प्रतिलिपि सूचनार्थ:

श्री जगदीश लोहरा

लोहरा एवं करमाली समाज समन्वय समिति,

राँची, झारखण्ड

jlranchi@gmail.com

मोबाइल नंबर:9431108035